

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स 6 सी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
कर्मोंक : मु.नि.का.बा./ स्था./ 23
जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक प.9(1)श्रनि/2021 दिनांक 05.01.2023 की पालना में निर्देशानुसार विभाग के निम्न अधिकारियों का पदस्थापन/अतिरिक्त कार्यभार किया गया है, के कार्य भार लेने देने की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है:-

1. श्री शंकर लाल रैगर, वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, पाली को प्रेषित कर लेख है कि आप उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भीलवाडा के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण (Assume) करे तथा वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, पाली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी अग्रिम आदेश तक सम्पादित करें।
2. श्री नरेन्द्र कुमार जलुथरिया, उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, अजमेर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण (Assume) कर अग्रिम आदेश तक सम्पादित करें।
3. श्री सूरज प्रकाश जांगिड, निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बांसवाडा के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री रूपेन्द्र कुमार, निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बालोतरा से ग्रहण कर अग्रिम आदेश तक सम्पादित करे।

(डी.एल.डामोर)


मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 06/01/2023

कर्मोंक : मु.नि.का.बा./ स्था./ 23 /63-72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर, आदेश क्रमांक प.9 (1) श्रनि/2021 दिनांक 05.01.2023 की पालना में।
4. निजी सचिव, मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, राजस्थान, जयपुर।
5. उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स को पालनार्थ।
6. आई.टी सैल
7. लेखा शाखा (संबंधित कार्यालय)
8. रक्षित पत्रावली।


06/01/2023
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6-सी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र राजस्थान, जयपुर-

क्रमांक : स्था./मु.नि.का.बा./22

302004 E-mail: rajfab@rajasthan.gov.in

जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आदेश क्रमांक 9(1)श्रनि./2021 जयपुर दिनांक:- 22.12.2022 की पालना में निर्देशानुसार विभाग के निम्न अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार एवं कार्यभार प्रत्याहारित किया गया है, के कार्यभार लेने देने की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है:-

1. श्री दीपक ब्रह्मभट्ट, निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने पद के अतिरिक्त वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन का कार्यभार श्री रमेश कुमार सोनी, उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन से ग्रहण करें।
2. श्री रमेश कुमार सोनी, उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन को प्रेषित कर लेख है कि आपको आवंटित वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन का अतिरिक्त कार्यभार श्री दीपक ब्रह्मभट्ट, निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भरतपुर को सम्भलावे।
3. श्री ऋषभ कुमार जैन, उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि आपको आवंटित वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स तक. सहा. (मुनिकाबा) जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार तुरन्त प्रभाव से त्याग (Relinquish) करें।

—sl—

(डी. एल. डामोर)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मुनिकाबा./स्था./2022/ 29-35

जयपुर: दिनांक 4/1/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय श्रम, कारखाना एवं बायलर्स एवं निरीक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक पं. स. 9(1)श्रनि./2021 जयपुर, दिनांक 22.12.2022 के क्रम में।
4. श्री रमेश कुमार सोनी, उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन।
5. श्री ऋषभ कुमार जैन, उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, कोटा।
6. श्री दीपक ब्रह्मभट्ट, निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भरतपुर
7. आई.टी.सैल।
8. रक्षित पत्रावली।